झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा

त्रयोदश (शीतकालीन) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 20.12.2023 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	**श्री विनोद कुमार सिंह स0वि0स0**	राज्य में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तहत् 15 हजार से ज्यादा टेट पास पारा शिक्षक 15-20 वर्षो से अनुबंध पर कार्यरत है। अन्य राज्यों ने भी टेट पास पारा शिक्षकों को सरकारी शिक्षक का दर्जा दिया है। झारखण्ड सरकार में भी विधि विभाग ने टेट पास पारा शिक्षकों को सरकारी शिक्षक का दर्जा देने में कोई कानूनी अड़चन नहीं बताई है। गत 3 माह से टेट पास पारा शिक्षक धरना पर है। सैकड़ों सेवानिवृत्त हो चूके है। हजारों सेवानिवृत्त के कगार पर है। अतः मैं आपके माध्यम से सदन/सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	**स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता**
02-	**डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता स0वि0स0 श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता स0वि0स0 श्री अमित कुमार मंडल स0वि0स0**	पलामू जिला अन्तर्गत पाँकी विधान सभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन योजना से निर्माणाधीन पेयजलापूर्ति योजनाओं में संवेदकों के द्वारा घोर अनियमितता की जा रही है। **पाँकी प्रखण्ड के क्लस्टर संख्या-8 एवं प्रखण्ड मनातू के कलस्टर संख्या-23 के संवेदक-हरिशंकर पाण्डेय तथा प्रखण्ड मनातू के कलस्टर संख्या-24 के संवेदक-आर0के0 कंस्ट्रक्शन्स**	**पेयजल एवं स्वच्छता**

01.	02.	03.	04.
		के द्वारा निम्न स्तर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। बोरिंग की गहराई मानक के अनुसार नहीं की गई है, जिससे जलश्रोत की अनुपलब्धता के कारण महत्वाकांक्षी योजनाओं की उपयोगिता पर प्रश्नचिन्ह खड़ा होता है। बिना वाटर डिस्चार्ज की जाँच किये टंकी लगा दिया गया है। जिससे कई योजनाएं अभी से फेल हो गई हैं। स्टील स्ट्रक्चर अनुमोदित वेट से कम का उपयोग किया गया है। Foundation में सरिया का उपयोग तय मानक से काफी कम किया गया है। HDP पाईप घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया है। ये दो उदाहरण मात्र है, कमोवेश पूरे क्षेत्र में सभी संवेदकों के द्वारा घटिया स्तर का कार्य किया जा रहा है। अतः सदन के माध्यम से माँग करता हूँ कि, विधान सभा की उच्चस्तरीय जाँच समिति का गठन करते हुए, ग्रामीण जनता को शुद्ध पेयजल मुहैया करने के अत्यंत महत्वाकांक्षी योजनाओं को भ्रष्टाचार का पर्याय बनाने के दोषी संवेदकों एवं पदाधिकारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कारवाई की जाय, इस ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ।	
03-	श्री दीपक विरुवा स0वि0स0 श्री सोना राम सिंकू स0वि0स0 श्री राजेश कच्छप स0वि0स0	राज्य के कस्तुवा गांधी बालिका विद्यालय संचालन में शिक्षिकाओं के साथ-साथ विद्यालय में कार्यरत अन्य शिक्षकेत्तर कर्मी यथा लेखापाल, रसोईया एवं रात्रि प्रहरी जो 24 घंटे योगदान विद्यालय में देते हैं फिर भी उन्हें जिला/प्रखण्ड अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों के मानदेय से भी वर्त्तमान परिपेक्ष्य में काफी कम है। जिस कारण कई आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही यह उल्लेखनीय है कि झारखण्ड शिक्षा परियोजना में कार्यरत कर्मियों को समय-समय पर वेतनादि का लाभ उपभोक्ता मुल्य सुचकांक के आधार पर प्रतिवर्ष अन्य सुविधा देय है।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता

01.	02.	03.	04.
		अतएव मैं उपर्युक्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षिकाओं एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को उनकी योग्यता/कार्य कुशलता एवं अनुभव के आधार पर झारखण्ड शिक्षा परियोजना में **कार्यरत कर्मियों की भाँति** सुविधा प्रदान करने हेतु सरकार से मांग करता हूँ।	
04-	**श्री उमा शंकर अकेला स0वि0स0**	हजारीबाग जिला के बरही प्रखण्ड अन्तर्गत रानीचुआ पंचायत के ग्राम जीतपुर से धोबघाट तक भाया नरसिंहवा, पिण्डवा, परसातरी होते हुए पक्की सड़क का निर्माण कराया जाय। इन गाँव में आजादी के बाद आज तक पक्की सड़क का निर्माण नहीं हुआ है जिस वजह से यहाँ के निवासी आज भी विकास से वंचित है। इन गाँवों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की घोर आबादी है। उपरोक्त महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहता हूँ।	**ग्रामीण कार्य**
05-	**श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा स0वि0स0 श्री केदार हजरा स0वि0स0**	जमशेदपुर शहर संविधान की पांचवी अनुसूची में शामिल है, जहाँ कोई भी नीति गत फैसला माननीय राज्यपाल, महामहिम राष्ट्रपति की सहमति के पश्चात् संसद से पारित होने के बाद ही लिया जा सकता है। जमशेदपुर शहर में विभिन्न औद्योगिक ईकाइयाँ एवं वहाँ पर अधिकांश निवास करने वाले लोग लीज पर है। जमशेदपुर को औद्योगिक शहर बनाने की घोषणा कैबिनेट द्वारा पारित कि गई है। परन्तु नगर निगम की तरह लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम नहीं हो रही है। इसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों की बात नहीं की गई है। इसके सारे सदस्य सरकारी या गैर सरकारी सदस्य मनोनीत होंगे। जमशेदपुर शहर अनुसूचित जन जाति बहुल क्षेत्र है।	**उद्योग**

01.	02.	03.	04.
		अतः उपर्युक्त विषय पर यथाशीघ्र वहाँ पर नगर निगम का चुनाव कराने एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।	

राँची,
दिनांक– 20 दिसम्बर, 2023 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप सं0–प्र0ध्या0–66/2023–2473/वि0 स0, राँची, दिनांक– 19/12/23

प्रतिः– झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/नेता प्रतिपक्ष/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग/ सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग एवं सचिव, उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनूप कुमार लाल 19/12/2023
(अनूप कुमार लाल)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0–प्र0ध्या0–66/2023–2473/वि0 स0, राँची, दिनांक–19/12/23

प्रतिः– आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

अनूप कुमार लाल 19/12/2023
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/–

19.12.2023